

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त विभाग**  
**(आय-व्ययक अनुभाग)**

क्रमांक :- प.4(121)वित्त-1(1)आय.व्य/2018

जयपुर, दिनांक : 25.11.2019

स्वीकृति संख्या 401 / 2019-20

कोषाधिकारी  
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर के P.D. A/c में राशि रूपये 3084.71 लाख (अक्षरे रूपये तीस करोड़ चौरासी लाख इकहत्तर हजार) मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, आयुक्त टी.ए.डी, उदयपुर के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रूपये 3084.71 लाख (अक्षरे रूपये तीस करोड़ चौरासी लाख इकहत्तर हजार) मात्र निम्नानुसार अंकित बजट मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जावें।

मांग संख्या - 30

राशि रूपये लाखों में

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि (केन्द्रीय सहायता)
1.	2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (02) - जनजातिय उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ/अनुदान [44] - अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु अनुदान (विशेष केन्द्रीय सहायता) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	क्रमांक-एफ.6/लेखा/सी.टी.ए.डी/वि.के.स/प्रस्ताव/2019-20/ जयपुर दिनांक 08.11.2019 32/2019-20	200.00
	[48] - उद्यान विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	33/2019-20	125.00
	[51] - पशुपालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	34/2019-20	200.00
	[54] - कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	35/2019-20	620.00
	[55] - कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	36/2019-20	225.00
	[57] - विभागीय योजनाओं का सर्वे एवं मूल्यांकन हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	37/2019-20	100.00
	[58] - विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में डेयरी विकास	38/2019-20	262.50


कमरा नं. 5137, वित्त (आय-व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-302005  
दूरभाष नं. 0141-5153222 आई.पी. नं.-24452, फैक्स नं. 0141-2227799  
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in

	कार्यक्रम 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)		
	(03) - परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माड़ा) [07] - कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	44 / 2019-20	175.00
	[10] - पशुपालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	45 / 2019-20	62.50
	[18] - कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	46 / 2019-20	75.00
	[19] - विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत माड़ा क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	47 / 2019-20	62.50
	(04) - जनजाति उपयोजना, माड़ा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.) [01] - कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	52 / 2019-20	180.00
	[04] - पशुपालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	53 / 2019-20	87.50
	[10] - कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	54 / 2019-20	95.00
	[11] - विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	55 / 2019-20	75.00
	(05) - सहरिया विकास (वि.के.स.) [01] - कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	57 / 2019-20	20.00
	(18) - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजनाएं [01] - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन 62 - कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	एफ 6 / लेखा / सी.टी.ए.डी. / 275[1] / प्रस्ताव / 2019-20 28 / 2019-20 06.11.2019	150.00
	[05] - परियोजना निर्माण 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	13 / 2019-20 06.11.2019	328.50
	[09] - छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	14 / 2019-20 06.11.2019	25.00
	[11] - धारा 275(1) के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में स्कारुट एवं गाईड कार्यक्रम 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	15 / 2019-20 06.11.2019	6.21
	(20) - कलस्टर क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विकास हेतु सहायतार्थ अनुदान (वि.के.स.) [04] - कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	49 / 2019-20 08.11.2019	5.00

[05] - विशेष केन्द्रीय सहायता अर्न्तगत कलस्टर क्षेत्र में कृषि विकास कार्यक्रम 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	50/2019-20 08.11.2019	5.00
योग		3084.71


(अक्षरे रूपये तीस करोड़ चौरासी लाख इकहत्तर हजार)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,  
  
(शरद मेहरा)  
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक, वित्त (बजट)